[ 2021 ] 6 एस. सी. आर 1137

वीपन कुमार धीर

वी.

पंजाब राज्य और अन्य

( आपराधिक अपील सं। 1161 - 1162 2021 का)

04 अक्टूबर, 2021

[ एन. वी. रमना, सीजेआई, सूर्या कांत और हिमा कोहली, जे. जे.]

जमानत-दहेज मृत्यु का आरोप-प्रतिवादी नं। 2 - अभियुक्त, मृतक की सास ने यू/एस. एस. का आरोप लगाया। 304 बी, 302 आर/डब्ल्यू 120 बी-अग्रिम जमानत दी गई-आयोजितः तत्काल अपराध का आरोप लगाया गया

मामला जघन्य है-उच्च न्यायालय इस तथ्य से प्रभावित है कि आरोपी जांच में सहयोग कर रहा था-हालाँकि, यह रिकॉर्ड के विपरीत है क्योंकि वह दो साल से अधिक समय से फरार थी भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद-उसने उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत प्राप्त करने के बाद ही जांच में शामिल होने का फैसला किया-इसके अलावा, सह-आरोपी के साथ समानता का आधार, उच्च न्यायालय द्वारा उसका छोटा बेटा (मृतक का बहनोई) अनुचित है

- उनके और उनके छोटे बेटे के खिलाफ प्राथमिकी में आरोप हैं

भौतिक रूप से अलग-विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया गया-दंड संहिता, 1860

- एसएस। 304 बी, 303 आर/डब्ल्यू एस। 120 बी.

जमानत-विज़-ए-विज़ अनुदान का रद्द करना -

चर्चा की।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. जमानत रद्द करने के मामले को जमानत देने की कार्यवाही की तुलना में अलग आधार पर निपटाया जाना है। यह है।

यह आवश्यक है कि जमानत रद्द करने के लिए 'ठोस और भारी कारण' मौजूद हों। परंपरागत रूप से, ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जो जमानत देने के बाद विकसित हो सकती हैं और निष्पक्ष सुनवाई के लिए अनुकूल नहीं हैं, जिससे यह आवश्यक हो जाता है -

जमानत रद्द करें। जमानत को तब भी रद्द किया जा सकता है जब अदालत ने अप्रासंगिक कारकों पर विचार किया हो या रिकॉर्ड पर उपलब्ध प्रासंगिक सामग्री की अनदेखी की हो जो कानूनी रूप से जमानत देने के आदेश को प्रस्तुत करती है। असमर्थनीय। अपराध की गंभीरता, अभियुक्त का आचरण और न्यायालय द्वारा अनुचित संलिप्तता का सामाजिक प्रभाव जब

जाँच दहलीज पर है, कुछ स्थितियों में से भी हैं, जहाँ एक उच्च न्यायालय न्याय की विफलता को रोकने और न्याय के प्रशासन को मजबूत करने के लिए जमानत के आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आपराधिक न्याय प्रणाली। जमानत देते समय, विशेष रूप से अग्रिम जमानत जो प्रकृति में असाधारण है, अभियुक्त द्वारा अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित करने की संभावना, परिवार को धमकी देना।

न्याय से भागने या निष्पक्ष जांच में अन्य बाधाएं पैदा करने वाले मृतक के सदस्यों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। प्रत्येक मामले का अपना अनूठा तथ्यात्मक परिदृश्य होता है जो उसे रद्द करने सहित जमानत मामलों के निर्णय के लिए महत्वपूर्ण होता है। तत्काल मामले में आरोप लगाया गया अपराध जघन्य है। हाथ में मामले में, उच्च न्यायालय मुख्य रूप से इस तथ्य से प्रभावित प्रतीत होता है कि अभियुक्त जांच के साथ 'सहयोग' कर रहा था।

हालाँकि, यह रिकॉर्ड के विपरीत है क्योंकि अभियुक्त घोषित किए जाने के बाद दो साल से अधिक समय तक फरार रहा।

23.04.2018 पर घोषित अपराधी। उसने शामिल होने का फैसला किया

उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत प्राप्त करने के बाद ही जाँच करें। वह जाँच एजेंसी के साथ-साथ मजिस्ट्रेट की अदालत से तब तक छिपी रही जब तक कि उसे जमानत की कार्यवाही के दूसरे दौर में उच्च न्यायालय से गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा नहीं मिल गई। उच्च न्यायालय द्वारा सह-अभियुक्त, उसके छोटे बेटे (मृतक के बहनोई) के साथ समानता का आधार भी उतना ही अनुचित है।

प्रतिवादी-सास और उसके छोटे बेटे के खिलाफ प्राथमिकी में आरोप भौतिक रूप से अलग हैं।

यह निर्विवाद है कि सभी के खिलाफ कुछ आरोप

परिवार के सदस्य आम हैं लेकिन अन्य विशिष्ट आरोप हैं जो अभियुक्त पर कथित अपराध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप लगाते हैं। उच्च न्यायालय ने अभियुक्त के पक्ष में समानता का लाभ गलत तरीके से दिया है। का आक्षेपित आदेश उच्च न्यायालय को अलग कर दिया गया है। अभियुक्त को निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। [ पारस 9-12,14 और 16] [1141-B-C; 1142-A-D, E-F, G-H; 1143-A, B, F]

दौलत राम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (1995) 1

एससीसी 349: [ 1994 ] 6 पूरक। एस. सी. आर. 69; एक्स बनाम स्टेट ऑफ

तेलंगाना (2018) 16 एस. सी. सी. 511 [2018] 4 एस. सी. आर. 466 -

पर भरोसा किया।

मामला कानून संदर्भ

[ 1994 ] 6 पूरक। एससीआर 69

उस पर भरोसा करें

उस पर भरोसा करें

पैरा 9 वी. पी. ए. एन. कुमार धीर बनाम पंजाब राज्य और अन्य

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

नं. 1161-1162 2021 से।

सी. आर. एम.-एम.-22197-2020 (ओ. एंड. एम.) और सी. आर. एम.-एम.-23495-2020 (ओ. एंड. एम.) में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

राकेश के. खन्ना, वरिष्ठ अधिवक्ता। , एस. एस. नेहरा, अरुण डागर, विक्रांत नेहरा, आर. के. गुप्ता, एच. एस. सचदेवा, राजेंद्र वर्मा, अधिवक्ता। के लिए अपीलार्थी।

सुनील चड्ढा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री जसप्रित गोगिया, सुश्री मंदाकिनी सिंह, करणवीर गोगिया, सुश्री शिवांगी सिंघल, सुश्री आशिमा मंडला, अक्षय चड्ढा, आनंद दिलीप लैंडगे, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सूर्या कान्ट, जे।

1. छुट्टी दे दी गई।

3. अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त विवरण यह है कि अपीलार्थी (इसके बाद 'शिकायतकर्ता'), जो मृतक का पिता है, ने 7 अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ दिनांक 1 दर्ज की, जिनमें से 4 प्रतिवादी-अभियुक्त सहित मृतक के ससुराल के सदस्य हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी की शादी प्रतिवादी के बेटे से हुई थी-28-07-2017 पर आरोपी। इसके तुरंत बाद, आरोपी परिवार के सदस्यों ने दहेज की मांग के बहाने मृतक को परेशान करना और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उनकी बेटी की एक अप्राकृतिक मौत हो गई। 02-10-2017 संदिग्ध परिस्थितियों में। प्रतिवादी के खिलाफ विशिष्ट आरोप हैं जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसने मृतक का शोषण किया और उसे कठिन घरेलू कामों से उबरने के किसी भी अवसर से वंचित कर दिया। यह इस तथ्य के बावजूद था कि मृतक स्थानीय सरकारी कॉलेज में पूर्णकालिक व्याख्याता के रूप में भी काम कर रहा था। यह भी आरोप लगाया गया कि दहेज की मांगों को पूरा न करने के कारण मृतक के अपमान और दुर्व्यवहार का दुष्चक्र जारी रहा। मृतक ने 30-09-2017 पर शिकायतकर्ता से संपर्क किया और बताया कि [2021] 6 एस. सी. आर. से मिलने में विफल रहने के कारण उसे फिर से शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया था।

उनकी दहेज की माँग। शिकायतकर्ता ने आश्वासन दिया कि वह उसके वैवाहिक घर आकर इस घरेलू कलह को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने की कोशिश करेगा

अगले ही दिन। लेकिन इस आश्वासन को कभी पूरा नहीं किया जा सका।

क्योंकि अभियुक्तों पर आरोप है कि उन्होंने 01.10.2017 पर मृतक को गुप्त रूप से जहर दिया था, जिसके कारण अगली सुबह उसकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विषाक्तता का तथ्य जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए चिकित्सा साक्ष्य द्वारा समर्थित है।

4. एफ. आई. आर. दर्ज होने के तुरंत बाद, प्रतिवादी-अभियुक्त ने सत्र न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की, जो था

21.12.2017 पर अस्वीकार कर दिया गया। असंतुष्ट, प्रतिवादी-अभियुक्त ने इसी तरह की राहत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन याचिका को 08.03.2018 पर वापस लिए जाने के कारण खारिज कर दिया गया। इस बीच, के कारण चल रही जाँच में सहयोग न करना, संबंधित एस. एच. ओ.

5. प्रत्यर्थी-अभियुक्त अपनी गिरफ्तारी से तब तक बचता रहा जब तक कि इस अदालत ने उसके छोटे बेटे दक्ष आद्या को अग्रिम जमानत नहीं दे दी ( मृतक के बहनोई) 22.10.2019 पर। इसके बाद, इस बाद की घटना का लाभ उठाते हुए और उसे परिस्थिति में एक भौतिक परिवर्तन के रूप में प्रस्तुत करते हुए, प्रतिवादी-अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के समक्ष दो याचिकाएं दायर कीं, जिसमें उस आदेश को रद्द करने की मांग की गई, जिसमें उसे 'घोषित अपराधी' घोषित किया गया था और आगे अग्रिम जमानत की राहत मांगी गई थी।

6. यह स्पष्ट रूप से नोट किया गया है कि उपरोक्त कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दी

प्रतिवादी-03.12.2020 पर अभियुक्त और उसके अनुसार, वह 07.12.2020 पर जाँच में शामिल हुई। इसके बाद, विवादित आदेश के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने दोनों याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और प्रतिवादी-अभियुक्त को भगोड़ा घोषित करने के आदेश को रद्द कर दिया और उसे अग्रिम जमानत भी दे दी। इन राहतों की अनुमति मुख्य रूप से दो आधारों पर दी गई थी-पहला यह कि प्रतिवादी-अभियुक्त जांच में शामिल हुआ था और मुकदमे की कार्यवाही की प्रत्येक तिथि पर उपस्थित रहने का वचन दिया था; दूसरा

वह सह-अभियुक्त दक्ष आद्या के साथ समानता की मांग करने की हकदार थी, जिसे इस न्यायालय ने अग्रिम जमानत दे दी थी।

7. पीड़ित शिकायतकर्ता अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क देते हुए हमारे सामने है कि उच्च न्यायालय ने अति-दिखने वाले वी. आई. पी. ए. एन. कुमार धीर बनाम में कानून की गंभीर त्रुटि की है।

पंजाब राज्य और अन्य

[ सूर्या कान्ट, जे।]

सुस्थापित सिद्धांत जो न्यायालयों को अग्रिम जमानत देने के मामले में अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। विद्वान राज्य वकील ने भी अपीलार्थी-शिकायतकर्ता के कारण का समर्थन किया है।

8. हमने पक्षों के लिए लर्नड काउंसल को विस्तार से सुना है और

अभिलेख पर रखी गई प्रासंगिक सामग्री का अवलोकन किया।

9. शुरुआत में, इस सुव्यवस्थित कानूनी सिद्धांत को दोहराना उपयोगी होगा कि जमानत रद्द करने पर अलग तरीके से विचार किया जाना है।

जमानत देने के लिए एक कार्यवाही की तुलना में आधार। यह आवश्यक है कि जमानत रद्द करने के लिए 'ठोस और भारी कारण' मौजूद हों। परंपरागत रूप से, ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जो जमानत देने के बाद विकसित हो सकती हैं और निष्पक्ष सुनवाई के लिए अनुकूल नहीं हैं, जिससे जमानत को रद्द करना आवश्यक हो जाता है। दौलत राम में यह न्यायालय और

अन्य बनाम हरियाणा राज्य 1 ने कहा किः

" गैर-जमानती मामले में प्रारंभिक चरण में जमानत को अस्वीकार करने और इस प्रकार दी गई जमानत को रद्द करने पर विचार किया जाना चाहिए।

और अलग-अलग आधार पर निपटा गया। बहुत दृढ़ और आदेश के लिए भारी परिस्थितियाँ आवश्यक हैं।

जमानत को रद्द करने का निर्देश, जो पहले ही दी जा चुकी है।

आम तौर पर, जमानत रद्द करने के लिए आधार,

मोटे तौर पर (सचित्र और संपूर्ण नहीं) हैंः प्रशासन के नियत पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करने का प्रयास

न्याय या चोरी या न्याय के उचित मार्ग से बचने का प्रयास या किसी भी मामले में अभियुक्त को दी गई रियायत का दुरुपयोग

तरीके से। सामग्री के आधार पर न्यायालय की संतुष्टि

अभियुक्त की संभावना के अभिलेख पर रखा गया

फरार होना जमानत रद्द करने को उचित ठहराने का एक और कारण है। हालांकि, एक बार जमानत दिए जाने के बाद उसे रद्द नहीं किया जाना चाहिए

एक यांत्रिक तरीके से विचार किए बिना कि क्या कोई पर्यवेक्षण परिस्थितियों ने इसे अब नहीं बना दिया है

मुकदमे के दौरान जमानत की रियायत का आनंद लेते हुए अभियुक्त को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की अनुमति देने के लिए एक निष्पक्ष मुकदमे के लिए अनुकूल।

इन सिद्धांतों को बार-बार दोहराया गया है, हाल ही में इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा X बनाम तेलंगाना राज्य और

एक और। 2

1 (1995) 1 एस. सी. सी. 349 4 पर। 2 (2018) 16 एस. सी. सी. 511 14-15 पर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10. उद्धृत निर्णयों में दर्शाई गई चेतावनी के अलावा, जमानत को भी रद्द किया जा सकता है जहां अदालत ने अप्रासंगिक कारकों पर विचार किया है। या अभिलेख पर उपलब्ध प्रासंगिक सामग्री की उपेक्षा की है जो जमानत देने के आदेश को कानूनी रूप से असमर्थनीय बनाती है। अपराध की गंभीरता, अभियुक्त का आचरण और जांच की सीमा पर होने पर न्यायालय द्वारा अनुचित संलिप्तता का सामाजिक प्रभाव भी कुछ स्थितियों में से हैं, जहां एक उच्च न्यायालय न्याय की विफलता को रोकने और न्याय के प्रशासन को मजबूत करने के लिए जमानत के आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है।

आपराधिक न्याय प्रणाली। इस न्यायालय ने बार-बार देखा है कि जबकि

जमानत देना, विशेष रूप से अग्रिम जमानत जो प्रकृति में असाधारण है, अभियुक्त द्वारा अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित करने, मृतक के परिवार के सदस्यों को धमकी देने, न्याय से भागने या निष्पक्ष जांच में अन्य बाधाएं पैदा करने की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। 11. मोटे तौर पर, प्रत्येक मामले का अपना अनूठा तथ्यात्मक परिदृश्य होता है जो रद्द करने सहित जमानत मामलों के निर्णय के लिए महत्वपूर्ण होता है।

वहाँ से। तत्काल मामले में आरोप लगाया गया अपराध जघन्य है और हमारी मध्ययुगीन सामाजिक संरचना को उजागर करता है जो कानून और न्यायपालिका द्वारा किए गए कई प्रयासों के बावजूद अभी भी सुधारों के लिए विलाप करता है। 12. हाथ में मामले में, उच्च न्यायालय मुख्य रूप से इस तथ्य से प्रभावित प्रतीत होता है कि प्रतिवादी-अभियुक्त था

' जांच के साथ सह-संचालन। हालाँकि, यह रिकॉर्ड के विपरीत है क्योंकि प्रतिवादी दो से अधिक समय तक फरार रहा।

23.04.2018 पर घोषित अपराधी घोषित होने के वर्षों बाद। उन्होंने उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत प्राप्त करने के बाद ही जांच में शामिल होने का फैसला किया। वह जाँच एजेंसी के साथ-साथ मजिस्ट्रेट की अदालत से तब तक छिपी रही जब तक कि उसे जमानत की कार्यवाही के दूसरे दौर में उच्च न्यायालय से गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा नहीं मिल गई।

13. भले ही घोषणा करने में कोई प्रक्रियात्मक अनियमितता हो

प्रत्यर्थी-एक भगोड़े के रूप में अभियुक्त, कि अपने आप में गंभीर अपराध के मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत देने के लिए एक उचित आधार नहीं था, सिवाय इसके कि उच्च न्यायालय केस-डायरी और रिकॉर्ड पर अन्य सामग्री के अवलोकन पर, प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि यह झूठे या अतिरंजित आरोप का मामला है। यहाँ ऐसा मामला नहीं होने के कारण, उच्च न्यायालय प्रतिवादी-अभियुक्त को अग्रिम जमानत देने में गलत आधार पर चला गया।

14. उच्च न्यायालय द्वारा सह-अभियुक्त दक्ष आद्या के साथ समानता का आधार भी उतना ही अनुचित है। एफ़. आई. आर. में आरोप

प्रत्यर्थी-सास और उसके छोटे बेटे दक्ष आद्या के खिलाफ भौतिक रूप से अलग हैं। यह निर्विवाद है कि कुछ आरोप वी. आई. पी. ए. एन. कुमार धीर बनाम

[ सूर्या कान्ट, जे।]

परिवार के सभी सदस्यों के खिलाफ आरोप सामान्य हैं लेकिन अन्य विशिष्ट आरोप हैं जो प्रतिवादी-अभियुक्त पर कथित अपराध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप लगाते हैं। प्रत्यर्थी का आचरण-बिना किसी उचित कारण के दो साल से अधिक समय तक फरार रहने के आरोपी को कोई भी विवेकाधीन राहत देते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए था। ये तथ्य उसे उस सह-अभियुक्त की तुलना में बिल्कुल अलग आधार पर रखते हैं जिसके साथ वह समानता चाहती है। इस प्रकार, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी-अभियुक्त के पक्ष में समानता का लाभ गलत तरीके से दिया है। यह ध्यान में रखना होगा कि शादी के तीन महीने के भीतर मृतक का दुखद अंत हो गया। हालांकि इसे आई. पी. सी. की धारा 302 या 304 बी के तहत अपराध कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन तथ्य यह है कि उसके किसी भी सपने को साकार करने से पहले ही एक युवा जीवन का अचानक अंत हो गया, जो बुरी तरह से टूट गया था। उसकी अपने वैवाहिक घर में एक अप्राकृतिक मृत्यु हो गई। प्रतिवादी-अभियुक्त मृतक की सास होती है। इसलिए, जाँच एजेंसी अपनी बहू की अप्राकृतिक और असामयिक मृत्यु में प्रतिवादी-अभियुक्त, यदि कोई हो, की भूमिका की जाँच करने के लिए स्वतंत्र हाथ की हकदार है।

15. प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील-अभियुक्त हो सकता है

यह तर्क देना सही होगा कि अपीलार्थी-शिकायतकर्ता ने जाल का विस्तार किया है और मृतक के ससुराल वालों के अलावा अन्य सदस्यों को भी शामिल किया है। उनके अनुसार, अपीलार्थी शिकायतकर्ता के पूरे संस्करण को संदिग्ध आँखों से देखा जाना चाहिए क्योंकि वह एक सेवानिवृत्त जिला अटॉर्नी होने के नाते, कानूनी रूप से प्रशिक्षित दिमाग है। हम इस स्तर पर इस विवाद पर टिप्पणी करना आवश्यक नहीं समझते हैं। यह उल्लेख करना पर्याप्त है कि संदेह की सुई केवल प्रतिवादी आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ घूमती है, जबकि इस स्तर पर अन्य को जांच एजेंसी द्वारा निर्दोष पाया गया है।

16. उपरोक्त चर्चा के आलोक में और बिना कुछ व्यक्त किए

योग्यता के आधार पर, हम उच्च न्यायालय के दिनांकित 28.01.2021 के विवादित आदेश को दरकिनार करते हैं और प्रतिवादी-अभियुक्त को एक सप्ताह की अवधि के भीतर निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश देते हैं। हम यह स्पष्ट करते हैं कि ऊपर दी गई टिप्पणियां वर्तमान कार्यवाहियों के उद्देश्यों के लिए सीमित हैं और मामले के गुण-दोष पर किसी भी राय के रूप में नहीं समझी जाएंगी। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि समर्पण के बाद, प्रतिवादी अभियुक्त संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष नियमित जमानत लेने के लिए स्वतंत्र होगा और इस तरह के किसी भी अनुरोध पर इस आदेश से प्रभावित हुए बिना कानून के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।

अपीलों का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।

अपी

लों का निपटारा किया गया।

दिव्या पांडे